दिनांक-20.03.2018 को अपराह्न 12.30 बजे मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में सम्पन्न राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति की बैठक की कार्यवाही:-

बिहार राज्य मुकदमा नीति, 2011 के प्रावधान 2.4 (क) के तहत् समिति के समक्ष प्राप्त आवेदनों के संबंध में मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति की बैठक दिनांक-20.03.2018 को सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित पदाधिकारी उपस्थित हुए :-

1. प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन एवं गृह विभाग।
2. प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग।
3. प्रधान सचिव, कृषि विभाग।
4. प्रधान सचिव, वित्त विभाग।
5. सचिव-सह- विधि परामर्शी, विधि विभाग।
6. सचिव, परिवहन विभाग।
7. विशेष सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी, विधि विभाग।
8. विशेष सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग।
9. विशेष सचिव, योजना एवं विकास विभाग।
10. अपर सचिव, जल संसाधन विभाग।
11. अपर सचिव, समाज कल्याण विभाग।
12. अपर सचिव, भवन निर्माण विभाग।
13. अवर सचिव, जल संसाधन विभाग।

सचिव-सह-विधि परामर्शी द्वारा समिति को सूचित किया गया कि विभिन्न विभागों के कर्मियों द्वारा इस समिति के विचारार्थ कुल 12 आवेदन प्राप्त हुए हैं। उन अभ्यावेदनों की विवरणी एवं इस संबंध में समिति द्वारा लिये गये निर्णय की विवरणी निम्नवत् है:-

क्र0 सं0	आवेदक की विवरणी एवं पक्ष	संबंधित विभाग का पक्ष
1	* श्री सुधाकर उपाध्याय, से0नि0 चौकीदार, सारण, बिहार। * आवेदक के द्वारा दिनांक-06.02.1964 को लोक निर्माण विभाग, बिहार सरकार के अंतर्गत चौकीदार के पद पर योगदान दिया गया। झारखण्ड राज्य के बनने के उपरांत दिनांक-15.11.2000 से दिनांक-31.01.2001 तक कार्यपालक अभियंता भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल सं0-01, राँची (झारखण्ड) के अंतर्गत कार्यरत रहे। उक्त कार्यालय से आवेदक दिनांक-31.01.2001 को वार्धक्य सेवा निवृत्त हुए। * आवेदक के अनुसार वित्त विभाग के संकल्प सं0-3ए0-स्वे0पु0-07/2015-3972वि0, दिनांक-12.05.16 के द्वारा चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों के वेतनमान में दिनांक -01.01.1996 के प्रभाव से संशोधन किया गया है।	* भवन निर्माण विभाग के द्वारा समिति को बताया गया कि वित्त विभाग के परामर्श के अनुसार वित्त विभागीय संकल्प-3972 दिनांक-12.05.16 आवेदक के मामले में लागू नहीं होता है। उक्त के संबंध में सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि वित्त विभाग उक्त मामले में आवश्यक निर्णय लेकर आवेदक को संसूचित करे।

	आवेदक के अनुसार वित्त विभाग के उक्त संकल्प में वर्णित समयावधि में वे बिहार सरकार के अंतर्गत कार्यरत थे। इस आधार पर आवेदक द्वारा वित्त विभाग के उक्त संकल्प द्वारा किए गए संशोधन के आलोक में वेतन का पुर्ननिर्धारण करने और तद्नुसार वेतन/पेंशन/उपादान/अवकाश नगदीकरण के बकाये अंतर राशि के भुगतान हेतु अनुरोध किया गया है।	
2	* श्री राम नारायण शर्मा, से0नि0 क्षेत्र परिचालक, सारण, बिहार। * आवेदक के द्वारा वित्त विभाग के संकल्प सं0-3ए0-स्वे0पु0-07/2015-3972 वि0, दिनांक-12.05.16 के द्वारा चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों के वेतनमान में दिनांक-01.01.1996 के प्रभाव से किये गये संशोधन के आलोक में वेतन का पुर्ननिर्धारण करने और तद्नुसार वेतन/पेंशन/उपादान/अवकाश नगदीकरण के बकाये अंतर राशि के भुगतान हेतु अनुरोध किया गया है।	* कृषि विभाग के द्वारा समिति को बताया गया कि वित्त विभाग के परामर्श के अनुसार वित्त विभागीय संकल्प सं0-3972 दिनांक-12.05.16 कामगार के पद हेतु प्रभावी नही है। उक्त बिन्दु पर सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि कृषि विभाग एक सप्ताह के अंदर संचिका के माध्यम से वित्त विभाग से पुनः परामर्श प्राप्त करते हुए मामले को निष्पादित करे।
3	* श्री रामसिंहासन गिरि, से0नि0 आप्त सचिव, पशु एंव मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार। * आवेदक के द्वारा दिनांक-09.12.1976 से उनकी सेवा की गणना कर दिनांक-09.12.2000 के प्रभाव से वेतनमान 10000-15000/- में द्वितीय सुनिश्चित वृत्तिय उन्नयन (ACP) की स्वीकृति प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है। * आवेदक के द्वारा CWJC No.-18181/2012 श्रवण कुमार एवं अन्य बनाम राज्य सरकार में दिनांक-31.01.2014 को पारित आदेश एवं CWJC No.-22096/2014 राजेश्वर प्रसाद सिन्हा एवं अन्य बनाम बिहार सरकार में पारित आदेश के आलोक में राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति द्वारा दिनांक-06.08.2015 को लिये गये निर्णय का उल्लेख अपने दावों के संबंध में किया गया है। * आवेदक का यह भी कहना है कि प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के समक्ष दिनांक-18.01.2016 एवं दिनांक- 25.02.2016 को आवेदन प्रस्तुत किया गया है। जिस पर कृत कार्रवाई की सूचना अबतक अप्राप्त है।	* आवेदक के दावे के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा आवेदक के सेवा इतिहास एवं उक्त समिति की पूर्व में आयोजित बैठक (दिनांक-06.08.2015) में लिए गए निर्णय पर विचार विमर्श किया गया। सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग को निर्देश दिया गया कि वे अपने स्तर से उक्त मामले की समीक्षा करते हुए वस्तुस्थिति एवं लिए गए निर्णय से आगामी बैठक में समिति को अवगत कराये।

4	* श्री हरेन्द्र सिंह, निलंबित लिपिक, मुख्यालय जिला परिवहन कार्यालय, भोजपुर (आरा) * आवेदक के द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9(7) के आलोक में उनका निलंबन आदेश वापस लेने एवं निलंबनादेश की तिथि से कर्त्तव्य पर मानते हुए वेतन आदि का भुगतान करने, निलंबन अवधि का जीवन भत्ता भुगतान करने उनका पदस्थापन किसी कार्यालय में शीघ्र करने एवं आरोप मुक्त करने का अनुरोध किया गया है। आवेदक निगरानी थाना कांड सं0-41/2016 दिनांक-08.04.16 में प्राथमिक अभियुक्त बनाये जाने के आलोक में परिवहन विभाग के आदेश ज्ञापांक-3092 दिनांक-30.06.16 द्वारा निलंबित है।	* बैठक में उपस्थित सचिव, परिवहन विभाग के द्वारा समिति को बताया गया कि आवेदक के द्वारा उठाये गये बिन्दुओं पर अपेक्षित कार्रवाई कर दी गई है। उक्त के आलोक में समिति द्वारा सर्वसम्मति से उक्त मामले को निष्पादित कर दिया गया।
5	* श्री दिनेश प्रसाद, कनीय क्षेत्रीय अन्वेषक, जिला सांख्यिकी कार्यालय, मुजफ्फरपुर। * आवेदक के द्वारा सेवा से बाहर रखी गयी अवधि दिनांक-27.04.1993 से 20.04.1995 तक कर्त्तव्य पर बितायी गयी अवधि मानकर सेवा विनियमन करने, बकाये वेतन का भुगतान करने एवं अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय के कार्यालय आदेश सं0-275 दिनांक-04.08.17 द्वारा कनीय क्षेत्रीय अन्वेषक संवर्ग का मूल वरीयता सूची एवं कार्यालय आदेश सं0-276 दिनांक-04.08.17 द्वारा जारी संशोधित वरीयता सूची में कनीय को प्रदत्त उच्चतर पद सोपान में दी गयी प्रोन्नति के समान प्रोन्नति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।	* उक्त मामले पर सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा योजना एवं विकास विभाग को निर्देश दिया गया कि विभागीय स्तर पर लंबित आवेदक के मामले को शीघ्र निष्पादित करते हुए वस्तुस्थिति से आवेदक को अवगत कराया जाय।
6	* श्री अरूण कुमार राय, से0नि0 पौधा संरक्षण पर्यवेक्षक, पौधा संरक्षण केन्द्र, छपरा सदर। * आवेदक के द्वारा 30 वर्षों की नियमित सेवा पूरी करने के उपरांत दिनांक-01.01.2009 के प्रभाव से तृतीय MACP प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।	* उक्त मामले के संबंध में कृषि विभाग के द्वारा समिति को बताया गया कि पौधा संरक्षण पर्यवेक्षक के पद पर प्रोन्नति, ए0सी0पी0 एवं एम0ए0सी0पी0 प्रोन्नति के लिए विभागीय परीक्षा का उत्तीर्ण होना आवश्यक है। आवेदक श्री राय उक्त विभागीय परीक्षा में न ही उत्तीर्ण है न ही उससे विमुक्त है। इस आधार पर श्री राय एम0ए0सी0पी0 प्रोन्नति हेतु अयोग्य हैं। कृषि विभाग के उक्त तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा सर्वसम्मति से आवेदक के दावे को अस्वीकृत किया गया।

7	* श्री प्रहलाद सिंह, से0नि0 सहायक अभियंता, सारण, बिहार। * आवेदक के अनुसार जल संसाधन विभाग के 1979 के पूर्व नियुक्त कनीय अभियंता (असैनिक) को रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना, 2010 के अंतर्गत तृतीय MACP दिए जाने के क्रम में स्क्रीनिंग समिति द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में एक लंबित सूची जल संसाधन विभाग के विभागीय वेबसाइट पर डाली गयी है। उक्त सूची के क्रम सं0-51 पर आवेदक के संबंध में समिति द्वारा उनके नाम के सामने **विभागीय परीक्षा पास नहीं, चारित्री बेंचमार्क के अनुरूप नहीं एवं 91000/- रुपये की वसूली** अभियुक्ति कॉलम में अंकित करते हुए आवेदक के तृतीय MACP को लंबित रखा गया है। * आवेदक के द्वारा स्क्रीनिंग समिति द्वारा उनके नाम के सामने अभियुक्ति कॉलम में दर्ज आपत्ति को विलोपित करने एवं दिनांक-01.01.2009 के प्रभाव से तृतीय MACP प्रदान करने का अनुरोध किया गया हे।	* उक्त मामले के संबंध में जल संसाधन विभाग के द्वारा समिति को बताया गया कि कनीय अभियंताओं को एम0ए0सी0पी0 प्रदान करने हेतु ब्रॉड शीट की समीक्षा करने पर पाया गया कि उक्त कनीय अभियंता के अलावे श्री प्रहलाद सिंह नाम के और चार कनीय अभियंता विभाग में कार्यरत रहे हैं। उन सभी के बायोडाटा से स्पष्ट होता है कि श्री प्रहलाद सिंह के नाम के कोई भी कनीय अभियेता वर्ष 1990-91 से 91-92 की अवधि में बटाने शीर्ष कार्य प्रमंडल, हरिहरगंज (पलामू) में पदस्थापित नही रहे हैं। इस स्थिति में आवेदक को एम0ए0सी0पी0 प्रदान करने के संबंध में नियमानुसार आवश्यक समीक्षा तथा निगरानी स्वच्छता प्रदान करते हुए विभागीय स्क्रीनिंग समिति की अगली बैठक में विचारार्थ रखा जाएगा। उक्त के आधार पर समिति द्वारा जल संसाधान विभाग, बिहार को संबंधित मामले में आवश्यक कार्रवाई करते हुए आगामी बैठक में वस्तुस्थिति से अवगत कराने का निर्देश दिया गया।
8	* श्री राजधर शर्मा, सेवानिवृत्त, चेनमैन, विशेष-भू अर्जन कार्यालय, गंडक योजना, मुजफ्फरपुर। * आवेदक के द्वारा वित्त विभागीय संकल्प सं0-3972-वि0(2) दिनांक-12.05.16 एवं संकल्प सं0-7577(वि0)(2) दिनांक-23.09.16 के प्रावधान के अनुसार दिनांक-01.01.1996 के प्रभाव से वेतन का पुर्ननिर्धारण और तद्नुसार बढ़े हुए वेतन के आधार पर कर्त्तव्य अवधि के बकाये अंतर वेतन एवं पेंशनरी लाभ की अंतर राशि के भुगतान करने का अनुरोध किया गया है।	* जल संसाधन विभाग के द्वारा समिति को बताया गया कि आवेदक द्वारा उठाये गये बिन्दुओं पर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है तथा नियमों के अधीन अपेक्षित लाभ प्रदान कर दिया जाएगा। उक्त के आधार पर समिति द्वारा सर्वसम्मति से आवेदक के मामलों को निष्पादित किया गया।
9	* श्री सुरेश प्रसाद, आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार। * आवेदक के द्वारा आशुटंकक के पद पर योगदान की तिथि दिनांक-31.01.1985 से उनकी सेवा की गणना करते हुए वित्तीय उन्नयन का लाभ	* आवेदक के दावे के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा आवेदक के सेवा इतिहास एवं उक्त समिति की पूर्व में आयोजित बैठक (दिनांक-06.08.2015) में लिए गए निर्णय पर विचार

	प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। * आवेदक के अनुसार उनका मामला cwjc सं0-18181/2012 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक-31.01.14 को पारित आदेश तथा मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति की दिनांक-06.08.15 को हुई बैठक में लिए गए निर्णय से पूर्ण रूप से आच्छादित है। उक्त के आलोक में आवेदक द्वारा बिहार राज्य मुकदमा नीति, 2011 की कंडिका-4(c) के तहत् उन्हें भी लाभ प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।	विमर्श किया गया। सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग को निर्देश दिया गया कि वे अपने स्तर से उक्त मामले की समीक्षा करते हुए वस्तुस्थिति एवं लिए गए निर्णय से आगामी बैठक में समिति को अवगत कराये।
10	* श्री कौशल किशोर सिंह एवं अन्य अधिनायक लिपिक, बिहार गृह रक्षा वाहिनी संगठन। * गृह (विशेष) विभाग बिहार सरकार के पत्र सं0-397 दिनांक-10.05.2000 द्वारा आवेदक एवं अन्य को अधिनायक लिपिक की सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। * उक्त आदेश के संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर CWJC सं0-5631/1999 में दिनांक-27.07.17 को पारित आदेश के द्वारा गृह (विशेष) विभाग के उक्त आदेश को निरस्त करते हुए आवेदक एवं अन्य को पुनः सेवा में बहाल करने का आदेश पारित किया गया है। आवेदक के अनुसार उक्त आदेश पारित हुए चार माह से अधिक समय व्यतीत हो चुका है परन्तु उक्त आदेश का अनुपालन अब तक नही किया गया है।	* गृह विभाग के द्वारा समिति को बताया गया कि आवेदक के मामले में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा CWJC No.-5631/1999 में दिनांक-27.07.17 को पारित आदेश के विरुद्ध विभाग द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में SLP दायर किया गया है। उक्त के आधार पर समिति द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर SLP के प्रतिफल तक मामले को लंबित रखने का निर्णय लिया गया।
11	* श्री दिनेश कुमार सिंह, सहायक शिक्षक, राजकीय बुनियादी विद्यालय, महम्मदपुर, ईनई रिविलगंज, सारण (छपरा)। * अवर शिक्षा सेवा (प्राथमिक शाखा) के पदों पर कनीय को दी गई प्रोन्नति की तिथि दिनांक-14.11.2013 से सुरक्षित रिक्त पदों के विरुद्ध आवेदक द्वारा उन्हें भी प्रोन्नति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।	* इस संबंध में शिक्षा विभाग द्वारा समिति को सूचित किया गया कि इस तरह के समरूप मामले में वाद सं0-2874/2016 समीर कुगार बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक-13.04.2017 को पारित समेकित आदेश के विरुद्ध निदेशक, प्राथमिक शिक्षा के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में LPA दायर किया गया है। उक्त के आधार पर समिति द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर LPA के प्रतिफल तक मामले को लंबित रखने का निर्णय लिया गया।

12	* श्रीमती नूतन कुमारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, थावे, गोपालगंज। * चार वर्षों की सेवा सम्पुष्ट होने के उपरांत दिनांक-14.03.2012 के प्रभाव से वेतनमान पी0बी0-3+5400 ग्रेड पे में वेतन निर्धारण करने का अनुरोध आवेदिका के द्वारा किया गया है।	* उक्त के आलोक में समाज कल्याण विभाग के द्वारा समिति को सूचित किया गया कि वित्त विभाग के संकल्प सं0-630 दिनांक-21.01.2010 में जिन राज्य सेवाओं के पदाधिकारियों को चार वर्षों की सेवा एवं सेवा सम्पुष्टि के बाद पी0बी0-3 ग्रेड पे0-5400/- में वेतन देय का प्रावधान किया गया है, शिड्यूल्य-3 के अभियुक्ति कॉलम में उनके संबंध में प्रावधान स्पष्ट रूप से प्रावधानित है, जिन्हें उक्त लाभ देय नही है, उनके अभियुक्ति कॉलम में कुछ भी अंकित नही किया गया है। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सेवा संवर्ग का वेतनमान पी0बी0-2+ग्रेड पे0-4800 दिया गया है एवं उनके संबंध में शिड्यूल्य-3 में चार वर्षों की सेवा सम्पुष्ट होने के उपरांत वेतनमान पी0बी0-3+5400 ग्रेड पे देने का उल्लेख नही है। इस आधार पर श्रीमती कुमारी की मांग अनुमान्य नही है तथा इसकी सूचना विभागीय पत्रांक-866 दिनांक-12.02.2018 द्वारा श्रीमती कुमारी को प्रदान कर दी गयी है। उक्त के आधार पर समिति द्वारा आवेदक के दावा को अस्वीकृत किया गया।

28/2/18

(अंजनी कुमार सिंह)
मुख्य सचिव, बिहार।

बिहार सरकार

विधि विभाग

ज्ञापांक-लि0से0-बि0रा0मु0नी0-06/2016.....3051...../जे0, **दिनांक** -..05/04/18

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/ प्रधान सचिव, गृह विभाग/ प्रधान सचिव, वित्त विभाग/ प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग/प्रधान सचिव, कृषि विभाग/सचिव, परिवहन विभाग/ विशेष सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/ विशेष सचिव, योजना एवं विकास विभाग/अपर सचिव, जल संसाधन विभाग/अपर सचिव, समाज कल्याण विभाग/अपर सचिव, भवन निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुपालन के संबंध में विभागीय स्तर पर कृत कार्रवाई से अद्योहस्ताक्षरी को अवगत कराने की कृपा की जाय।

5/4/18

(सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा)
सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञापांक-लि0से0-बि0रा0मु0नी0-06/2016......3051....../जे0, दिनांक -...05/04/18

प्रतिलिपि:- श्री सुधाकर उपाध्याय, सेवानिवृत्त चौकीदार, सम्प्रति ग्राम-बरेजा, थाना-माँझी, डाकघर-बरेजा, जिला-सारण (बिहार)/श्री राम नारायण शर्मा, सेवानिवृत्त क्षेत्र परिचालक, सम्प्रति- मुहल्ला-ब्रह्मपुर पुल, डाकघर-छपरा, जिला-सारण, बिहार-841301/श्री राम सिंहासन गिरि, सेवानिवृत्त आप्त सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, सम्प्रति-पश्चिमी शिवपुरी, पो0-अनिसाबाद, जिला-पटना-800002/श्री हरेन्द्र सिंह, निलंबित लिपिक, मुख्यालय जिला परिवहन कार्यालय, भोजपुर (आरा)/श्री दिनेश प्रसाद, कनीय क्षेत्रीय अन्वेषक, जिला सांख्यिकी कार्यालय, मुजफ्फरपुर, बिहार/श्री अरूण कुमार राय, सेवानिवृत्त पौधा संरक्षण पर्यवेक्षक, पौधा संरक्षण केन्द्र, छपरा सदर, बिहार/श्री प्रहलाद सिंह, सेवानिवृत्त सहायक अभियंता, सम्प्रति मुहल्ला-श्यामचक, पेट्रोल पंप से उत्तर, थाना-भगवान बाजार, डाकघर-छपरा, जिला-सारण, बिहार-841301/श्री राजधर शर्मा से0नि0 चेनमैन, विशेष भू-अर्जन कार्यालय, गंडक योजना, मुजफ्फरपुर, सम्प्रति ग्राम-सरेयापट्टी, थाना-दाऊदपुर, डाकघर-सोनिया, जिला-सारण, बिहार-841205 /श्री सुरेश प्रसाद, आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/श्री कौशल किशोर सिंह, रानीपुर, गंजपर, पटना सिटी-800008/श्री दिनेश कुमार सिंह, सहायक शिक्षक, राजकीय बुनियादी विद्यालय, महम्मदपुर, इनई, रिविलगंज, सारण/श्रीमती नूतन कुमारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, थावे, गोपालगंज, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

(सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा)
सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञापांक-लि0से0-बि0रा0मु0नी0-06/2016......3051....../जे0, दिनांक -...05/04/18

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, विधि विभाग, बिहार, पटना को आवश्यक अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा)
सरकार के सचिव, बिहार।